कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड,
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।

(दूरभाष संख्या–0135–2772677, फैक्स–0135–2771881, ई मेल–dir.agri.Uttarakhand@gmail.com)

पत्रांक– 5514 / SMAM / एग्री ड्रोन / 2023–24 देहरादून दिनांक– 28 दिसम्बर , 2023

1. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय– एग्री ड्रोन हेतु पंजीकृत फर्म तथा माडल विषयक।

निदेशालय के पत्र संख्या–कृ.नि. / 8226 / पंजी / एग्री ड्रोन / 2023–24, दिनांक 29 मार्च, 2023 के द्वारा विभिन्न एग्री ड्रोन की विनिर्माता फर्मों के मेक / माडलों को सूचीबद्ध करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियम 2017, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एग्री ड्रोन पर अनुदान उपलब्ध कराने जाने हेतु एग्री ड्रोन के मूल विनिर्माता फर्मों से प्राप्त पंजीकृत प्रपत्रों का गठित पंजीकरण समिति द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त एग्री ड्रोन की विनिर्माता फर्मों के मेक / माडलों को सूचीबद्ध / पंजीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया। सूचीबद्ध / पंजीकरण हेतु चिन्हित किए गए एग्री ड्रोन का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	फर्म का नाम	सूचीबद्ध / पंजीकरण होने वाले एग्री ड्रोन का विवरण
1.	IoTech World avigation Pvt.Ltd., Gurgaon	Agri Drone
2.	Garuda Aerospace Private Limited Chennai	Agri Drone
3.	General Aeronautics Pvt Ltd Banglore	Agri Drone
4.	Drogo Drones Private Limited Telangana	Agri Drone
5.	Wow GO Green LLP, Faridabad	Agri Drone

सलंग्न सूची के अनुसार कृषक द्वारा सूचीबद्ध / पंजीकृत विर्निमाता फर्म / फर्मों के अधिकृत डीलर से सलंग्न सूची में अंकित माडल को कय करने पर ही अनुदान देय होगा। अनुदान देते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए।

1. उपरोक्त पंजीकरण पत्र जारी होने वाले दिनांक से दो वर्ष तक वैद्य रहेगा।
2. कृषकों को एग्री ड्रोनपर अनुदान ***Submission on Agricultural Mechanization***(SMAM)/ Agri Drone की गाईडलाइन के अनुसार होगा।
3. एग्री ड्रोन पर अनुदान भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित / अनुमन्य **अधिप्राप्त** सीमा तक ही देय होगा।
4. सूचीबद्ध / पंजीकृत फर्म को बिल स्वयं अथवा विनिर्माता की संस्तुती पर नियमानुसार अधिकृत विकेता भी बिल जारी कर सकेगा बिल / कैश मैमो पर पूर्ण स्पेसिफिकेशन के साथ एग्री ड्रोन का माडल / ब्राण्ड / गांरन्टी / क्रम संख्या / चेचिस संख्या, वारन्टी अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करेगा।
5. अनुदान कृषक / मूल विर्निमाता द्वारा अधिकृत विकेता से कृषक द्वारा कयित एग्री ड्रोन के सूचीबद्ध माडल / मेक पर ही देय होगा। फर्म / अधिकृत विकेता नियामानुसार टेक्स का अंकन करते हुए टैक्स जमा करना होगा।
6. निदेशालय स्तर पर सूचीबद्ध / पंजीकृत फर्म / माडल / मेक agrimachinery.nic.in पर अपलोड करनी होगी, जो कम से कम एक वर्ष तक नहीं बदली जा सकेगी।
7. सूचीबद्ध / पंजीकृत फर्म द्वारा एग्री ड्रोन की वर्तमान दरें भारत सरकार की Agrimachinery.nic.in पर DBT Agriculture Machinazation पर अंकित करनी होगी, जो एक वर्ष तक बदली नहीं जा सकेगी।

8. कृषक द्वारा ऑनलाईन डी.बी.टी. पोर्टल पर डीलर से क्रय किए गए यंत्रों के बिल को डीलर पोर्टल पर अपलोड करेगा।
9. जनपद के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा गठित सत्यापन टीम द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरांत ***Submission on Agricultural Mechanization*** (SMAM)की गाईडलाइन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की अधितम सीमा के अनुसार कार्यवाही करें।
10. सत्यापन के दौरान कृषक द्वारा क्रयित एग्री ड्रोन विभाग द्वारा सूचीबद्ध/ पंजीकृत किए गए कृषि यंत्रों/उपकरणों के अनुसार ही हो।
11. कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे एग्री ड्रोन के मूल्य पोर्टल पर दर्शायी दरों से अधिक न हो, यदि दरें अधिक पायी जाती हैं तो संबंधित जनपद के मुख्य कृषि अधिकारी कार्यावाही करेंगें। कृषक जब मेक/माडल, गुणवत्ता एवं मोल भाव कर दर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के बाद एग्री ड्रोन को क्रय करें।
12. विर्निमाता सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेता को समय–समय पर विभाग द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित को पंजीकरण सूची से विलोपित किया जा सकता है।
13. सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उपरोक्त शर्तों/नियमों एवं इससे संबंधित प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधित/परिवर्तन किया जा सकेगा।
14. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म के अधिकृत विक्रेता द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में संबंधित फर्म का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
15. प्रदायकों को मुख्य कृषि अधिकारी के आदेश एवं दिशा निर्देश के अनुसार कृषक/ कृषकों को जनपद/विकासखण्ड स्तर/न्याय पंचायत तक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे।

संलग्न –यथोपरि।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक– /एस.एम.ए.एम/एग्री ड्रोन /2023–24/दिनांकित।
प्रतिलिपि–: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. संबंधित मूल विर्निमाता फर्म को विभागीय बेवसाईट के माध्यम से।
4. विभागीय पोर्टल।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

Specification of AGRI DRONE emplanelment 2023-24

क्र. सं	मूल विनिर्माता फर्म का नाम	यंत्र का नाम	मॉडल	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	टेस्टिंग संस्था	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की वैद्यता तिथि	अभ्युक्ति	MRP
1	IoTech World avigation Pvt.Ltd., Gurgaon	Agri Drone	AgriBot	AGRIBOT is having multipurpose tank with 10 litre/kg capacity 1.Spraying of Agrochemicals 2. Granules of Broadcasting	UL india Pvt Ltd/DGCA Certificate	T06220000001 13 JUNE 2022		Firm Empanelned /Register in State	780360.00
2	Garuda Aerospace Private Limited Chennai	Agri Drone	Garuda & GA-AD	Classification-Small, Category-Multi Rotor Drone, No. Of Rotors-Hexa Copter, Flight Mode- Manual autonomous, A-B mode, Tank capacity-8L, max Takeoff Weight-25kg, Min Payload Capacity-12kg, Material-Carbon fiber and aviation aluminum, Compact frame design- Foldable arms, Flight range-500m to 1km, Spraying tank material-HDPR PP, Connection tube material-fiber, Nozzle Mounting- On boom or below propeller, No. of nozzle-4, Spray width/swath-3.0-5.0m, Battery Type-LiPo, Capacity-16000 to 22000mAh, Voltage-22.50 volts, Flight mode- Manual Autonomous A-B mode,Material- Carbon fiber and aviation aluminum, Compact frame design- foldable arms, Flight range-500m to 1km	EMC lab ITI Limited/ DGCA Certificate	ITI/EMC/TR/FC/102 26-03-2022/T12220000006 23 december 2022		Firm Empanelned /Register in State	970000.00

3	General Aeronautics Pvt Ltd Banglore	Agri Drone	Krishak	Max take-off Weight-49.1kg, Max Speed-8m/s, max Range-500m, Max operating altitude-30m(above ground level), Max endurance-19 min(with full dispensing payload), operating frequency band- 865.25-866.75 MHz, Ground control station-Android mobile with OS version greater tan 10.0, GCS app version- GA GCS navigator, Tank capacity-16L, swath-5m, Battery capacity-36400mAh, Battery cycles-500	DGCA	T102200000 05 06 OCT 2022		Firm Empanelned /Register in State	1102500.00
4	Drogo Drones Private Limited Telangana	Agri Drone	Rotorcr aft/Sma ll	Category-Rotorcraft, Class-Small, max operating speed-10m/s, max attainable altitude-2000m AMSL, max range-1000m(VLOS)	TQ CERT/ DGCA Certificate Attached	CC27252200 0011387F JAN 2023/T0723 000000N		Firm Empanelned /Register in State	789000.00
5	Wow GO Green LLP, Faridabad	Agri Drone	KV10++	KV10++ is a remotely piloted aircraft system(RPAS)/ Hexacopter of medium class rotorcraft UAS with 10 litres payload tank capacity, max all up weight 27.650kg, power rating 4070watt, 6 no. Of engines, max range 0.5km	DGCA & QCI	T022300000 0D & 17-feb-2023		Firm Empanelned /Register in State	997500.00

6	BTL EPC LTD Kolkata	Agri Drone	KV10++	Remotely piloted Aircraft System(RPAS)/Hexacopter of medium class rotorcraft UAS with 10 litres payload tank capacity. Max all-up-weight 27.650kg, overall dimensions-2000x2000x520mm,Hobbywing X6 motor,power-4070watts, 06 no. Of engine, battery-16000mAH, max RPM-6294	DGCA certificate (Wow GO Green LLP, Faridabad)	T0223000000D & 17-feb-2023		Firm not Empanelned /Register in State	990000.00

उप कृषि निदेशक,
तकनीकी सम्प्रेक्षण,
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,
गुणवत्ता नियंत्रण,
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,
नियोजन,
कृषि निदेशालय

प्रतिनिधि,
निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय

प्रतिनिधि,
विभागाध्यक्ष (फार्म मशीनरी),
गो0ब0पं0कृ0प्रौ0वि0, पंतनगर

अपर कृषि निदेशक,
कृषि निदेशालय

वित्त नियंत्रक,
कृषि निदेशालय

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

महानिदेशक
कृषि एवं उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड।